वित्त विभाग

अधिसूचना

(राजस्थान राज पत्र असाधारण अंक के भाग IV– ग उप–धारा (1)
दिनांक 26 मार्च, 1998 में मूलतः सर्व प्रथम प्रकाशित)

जी.एस.आर. III– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 और राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल इसके द्वारा निम्न लिखित नियम बताते है, अर्थात्:–

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998

(1) नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम,1998 है।

(2) ये नियम 1 जनवरी, 1954 तक या इसके पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी अधिष्ठायी पद पर या 1,मार्च,1989 को या इसके पश्चात् किसी जिला परिषद् या किसी पंचायत समिति में के पद पर या ऐसे अन्य संगठन, जो राज्य सरकार द्वारा इस आशय के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे, में के पद पर सेवारत या नियुक्ति व्यक्तियों के मामले में 1 अपैल, 1998 की प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ:–

इन नियमों में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरूद्ध न हो,–

(क) "बीमा" से इन नियमों के अधीन ऐसी बीमा–संविदा अभिप्रेत है जिसके अधीन, बीमाकृत व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम के प्रतिफल में, संविदा में विनिर्दिष्ट की गई घटना के होने पर कतिपय धन–राशि का संदाय किया जाना है और इसके अधीन अतिरिक्त प्रीमियम या वर्धित प्रीमियम के संदाय पर अतिरिक्त बीमा– संविदा (संविदाएं) की जाती है।

(ख) "विभाग" से राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(ग) "निदेशक" से निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है और इसमें "अपर" "उप ओर सहायक निदेशक आते हैं।

(घ) "निधि "से ऐसी बीमा निधि अभिप्रेत है, जिसमें बीमा स्कीम से संबंधित विभाग की सभी प्राप्तियॉ और संवितरण ले जाये जायेंगे।

(ड) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(च) "बीमा अभिलेख पुस्तक" से ऐसी पुस्तक अभिप्रेत है, जिसमें काटे/जमा किये गये प्रीमियम, मंजूर ऋण, अभिदाता को जारी की गयी अतिरिक्त संविदाओं सहित संविदाओं, पॉलिसी पर घोषित बोनसों, निदेशक द्वारा निर्धारित अन्य विवरण जिसका निदेशक द्वारा प्रत्येक पॉलिसीधारक को जारी किया जाना हो को अन्तर्विष्ट किया जाये।

(छ) बीमा स्कीम से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जिसको इन नियमों में, नियम 8 में उल्लिखित वर्ग के कर्मचारियों पर लागू किये जाने का उल्लेख है।

(ज) बीमाकृत व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के अधीन बीमा कराना है।

(झ) वेतन से राजस्थान सेवा नियम, 1951 में यथा–परिभाषित वेतन अभिप्रेत है।

(ल) पॉलिसी से ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसमें बीमाकृत व्यक्ति के जीवन पर समय समय पर जारी किया गया बीमा या बीमें अन्तर्विष्ट हो।

(ट) "राजस्थान बीमा सेवा" से राजस्थान बीमा सेवा नियम, 1959 के अधीन सृजित बीमा सेवा का संवर्ग अभिप्रेत है।

(ठ) राज्य से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(ड) "अभ्यर्पण" मूल्य से वह रकम अभिप्रेत है, जो बीमाकृत व्यक्ति को जब संदेय होती है, जब वह पॉलिसी के समाश्रित फायदे का त्याग करता है या त्याग किया हुआ समझा जाता है और उसका नकद संदाय के लिए अभ्यर्पण करता है या अभ्यर्पण किया हुआ समझा जाता है।

3. **प्रबंध :–**

(1) निदेशक, विभाग के अधीक्षण,, नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा और बीमा स्कीम के प्रवाही प्रबन्ध के लिए "अनुदेश" जारी करने के लिए प्राधिकृत होगा।

(2) निदेशक, इन नियमों के अधीन उसको प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगा। इस उप नियम के अधीन प्रत्यायोजित किसी भी शक्ति का प्रयोग ऐसे निर्बधनों, परिसीमाओं और शर्तों के अध्यधीन होगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये।

(3) सरकार निदेशक या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसे कृत्य या शक्तियॉ, जो सरकार आवश्यक और समुचित समझे और जो सरकार में निहित है या इन नियमों के किसी भी उपबंध के अन्तर्गत नहीं आती है समनुदेशित या प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) "सरकार" आदेश द्वारा ऐसे नियमों के लिए, जो इन नियमों में उपबंधित नहीं किये गये है, उपबंध कर सकेगी और इन नियमों के अधीन बताये गये नियमों को स्पष्ट कर सकेगी।

4. **सरकार की प्रत्याभूति :–**

विभाग द्वारा की गयी बीमा संविदा (संविधाओं) के अधीन संदेय फायदों और अन्य राशियों के संदाय सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि में से प्रत्याभूत है।

5. **लेखें :–**

विभाग की सभी प्राप्तियॉ और संवितरण बीमा निधि नाम से पृथक खाता शीर्ष में ले जाये जायेंगे और ऐसे खाते में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष या समय समय पर यथा–विनिश्चित की दर पर ब्याज प्रत्येक वर्ष जमा किया जायेगा।
परन्तु ब्याज स्वयं उसी वर्ष में केवल छः मास की अवधि के लिए और पश्चात् वर्षों के खाते में पूरे बारह मासों के लिए अनुज्ञेय होगा।

6. **लेखों की संपरीक्षा :–**

बीमा निधि के लेखें प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर को बंद किये जायेंगे और महालेखाकार, राजस्थान और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउण्टेंट फर्म द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।

7. **सरकार को रिपोर्ट :–**

(1) प्रशासनिक रिपोर्टः–

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बीमा स्कीम के प्रशासन और काम काज के बारे में एक रिपोर्ट निदेशक द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पूर्व सरकार को प्रस्तुत की जावेगी।

(2) बीमांकिक अन्वेषण :–

निदेशक प्रत्येक वर्ष किसी बीमांकक द्वारा बीमांकिक अन्वेषण करवायेगा और बीमांकिक की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करवायेगा। बीमांकक द्वारा वितरण के लिए उपलब्ध घेषित किसी भी अधिशेष को बीमांकक की सिफारिश के अनुसार या तो बोनस के रूप में पॉलिसी धारकों में वितरित किया जायेगा या यदि सरकार ऐसा विनिश्चय करती है तो अवितरित अग्रनीत किया जायेगा।

8. बीमा का आवश्यक होना :–

(1) सरकार, जिला परिषद्, पंचायत समितियों या ऐसे संगठनों, जो सरकार द्वारा इस आशय का आदेश जारी करके विनिर्दिष्ट किये जायें, के अधीन किसी अधिष्ठायी पद पर राजस्थान सेवा नियमों के अधीन स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति विभाग को बीमा स्कीम में अभिदाय करके अपने जीवन का बीमा करायेगा।

(2) बीमा उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उक्त व्यक्ति नियुक्त हुआ है, मार्च मास से किया जायेगा।

(3) बीमा इस शर्त के अध्यधीन किया जायेगा कि कर्मचारी क्षय रोग, अस्थमा, कैंसर, मधुमेह,एड्स या सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किसी भी अन्य गम्भीर रोग से ग्रसित न हो। वह इस आशय की घोषणा अपने प्रथम घोषणा पत्र में करेगा।

टिप्पणीः– यदि नियुक्ति अधिकारी या आहरण एवम् संवितरण अधिकारी मार्च मास के वेतन बिल पर ये प्रमाणित करता है कि किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी या पंचायत समिति और जिला परिषदों के कर्मचारी के स्थायी होने की संभावना नहीं है तो उसे आगामी फरवरी मास के अंत तक नियम–8 के प्रवर्तन से छूट दी जायेगी।

9. **बीमे का ऐच्छिक होना :–**

विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन के किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी का इस बीमा स्कीम के अधीन बीमा करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उक्त उपक्रम के 50 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारी बीमा कराने के लिए सहमत हो और निदेशक के समाधानप्रद रूप से प्रीमियम प्राप्त करने के लिए संबंधित उपक्रम के साथ समुचित रीति निर्धारित कर ली जाये। एक बार की गयी बीमा–संविदा सीमा–क्षेत्र की कालवधि तक जारी रहेगी, जब तक कि वह व्यपगत न हो जाये या अभ्यर्पित कर दी जाये।

10. **अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का बीमा करना :–**

राजस्थान संवर्ग में का अखिल भारतीय सेवा का कोई सदस्य विभाग की बीमा स्कीम के अधीन बीमा कराने का विकल्प दे सकता है। एक बार विकल्प देने पर उसका बीमा नियम 8 के अधीन बीमाकृत व्यक्ति पर लागू सभी निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन होगा।

11. **प्रीमियम की दर और उसकी वसूलीः–**

1 (i) बीमा स्कीम के अधीन बीमाकृत व्यक्ति द्वारा संदेय मासिक प्रीमियम नीचे यथा–विनिर्दिष्ट या सरकारी आदेश द्वारा समय–समय पर यथा पुनरीक्षित होगाः–

क्र0 सं0	वेतन स्लेब में वेतन	मासिक प्रीमियम की दर 01.04. 1998
1	रू. 2,550 से 3,700 तक	150/–
2	रू. 3,701 से 5,000 तक	200/–
3	रू. 5,001 से 8,000 तक	300/–
4	रू. 8,001 से 12,000 तक	450/–
5	रू. 12,000 से अधिक	600/–

(ii) **अतिरिक्त बीमाः–**

जब कभी भी, वेतन स्लेबों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, किसी बीमाकृत व्यक्ति द्वारा पहले ही संदेय प्रीमियम, उसके द्वारा संदेय दिये जाने वाले प्रीमियम से

कम रह जाता है तो वृद्धिशील वसूलियॉ उसी वित्तीय वर्ष के मार्च माह से उसके वेतन से की जावेगी।

(2) कोई बीमाकृत व्यक्ति अपने विकल्प से, नियम–11 के उप नियम (1)(i)के अधीन उन पर लागू प्रीमियम दर से अधिक की अगली दो स्टेजों में विनिर्दिष्ट किसी भी दर के प्रीमियम का अभिदाय कर सकेगा, परन्तु 450/– रू. प्रतिमास या 600/– रू. प्रतिमास की दर से सामान्य प्रीमियम का संदाय करने वाला बीमाकृत व्यक्ति या तो 600/– रू. प्रतिमास या 800/– रू. प्रतिमास का अभिदान कर सकेगा।

(3) बीमाकृत व्यक्ति के 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् नियम–11(1) और (2) के अधीन कोई अतिरिक्त संविदा नहीं की जायेगी।

(4) नियम–11 (i)(ii) में यथा–विनिर्दिष्ट वृद्धिशील प्रीमियमों पर और नियम 11(2) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त प्रीमियम के संदाय पर अतिरिक्त जौखिम बीमा स्वास्थ्य परीक्षा के बिना किया जायेगा। नियम–11 (2) के अधीन प्रत्येक अतिरिक्त बीमा प्रारूप सं.1 में यह अतिरिक्त घोषणा करने के अध्यधीन होगा कि पॉलिसी धारक नियम 8(3) में उल्लेखित किन्हीं भी रोगों से ग्रसित नहीं था।

टिप्पणीः– प्रारूप 1 का प्राप्त न होना या अपूर्ण होनाः–

सम्बन्धित कार्यालय का प्रभारी उप/सहायक निदेशक प्रारूप संख्या 1 की पड़ताल करवायेगा और यदि प्रीमियम कटोती के साथ प्रारूप सं. 1 प्राप्त न हुआ है या सम्बन्धित उप निदेशक/सहायक निदेशक के समाधानप्रद रूप से परिशोधित नहीं किया गया है तो वह सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का संदाय रोकने का आदेश देने का हकदार होगा।

12. प्रीमियम की वसूलीः–

(1) नियम–43 में यथा– उपबंधित के सिवाय, विभाग से कराये गये सभी बीमों का प्रीमियम मासिक रूप से संदेय होगा और प्रत्येक मास में बीमाकृत व्यक्ति के वेतन से कटौति करके वसूल किया जायेगा। विभाग किसी भी वेतन बिल का संदाय रोकने का हकदार होगा यदि बीमाकृत व्यक्ति के सबंध में अपेक्षित प्रीमियम संदत्त नहीं किया गया है।

(2) पंचायत समितियों या स्वशाषी निकायों की सेवा में के व्यक्तियों या उनमें प्रतिनियुक्त उन व्यक्तियों के मामलें में, जो इन नियमों के अधीन पहले ही बीमाकृत है, प्रीमियम सम्बन्धित आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा मासिक रूप से वसूल किया जायेगा और चालान द्वारा सम्बन्धित कोषागार में जमा कराया जायेगा। ऐसे चालानों के साथ वसूली अनुसूचियॉ लगाई जायेगी तथा बीमा सहायकों द्वारा उनकी संवीक्षा की जायेगी।

(3) राज्य के बाहर विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त व्यक्ति से ऐसा प्रीमियम सीधे ही राज्य बीमा विभाग को भेजने की अपेक्षा की जायेगी।

(4) वेतन के पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप की गई वृद्धिशील वसूलियों की बकाया की वसूली, बकाया बिल, जब कभी भी आरक्षित किया जाये, के माध्यम से विभाग द्वारा ग्रहण की जायेगी।

13 वेतन में कमी हो जाने का परिणाम :–

यदि वेतन स्लेब कम हो जाने के परिणामस्वरूप पहले से ही किये गये बीमे पर संदेय प्रीमियम उसके वर्तमान वेतन स्लेब पर लागू प्रीमियम की दर से अधिक हो जाता है तो बीमाकृत व्यक्ति को प्रीमियम की कम दर पर अभिदाय करने का विकल्प नहीं होगा।

14 प्रारूप 1 में घोषणा प्रस्तुत करनाः–

(1) इन नियमों के अधीन बीमा कराने का दायी प्रत्येक कर्मचारी प्रथम बीमे के प्रीमियम की वसूली के समय प्रारूप–1 में घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(2) अतिरिक्त बीमे के समय किसी घोषणा का अपेक्षित न होनाः– किसी कर्मचारी से नियम 11 (i)(ii) में यथा उपबंधित अतिरिक्त बीमे के लिए घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

15 बीमा अभिलेख पुस्तक का जारी किया जानाः–

इन नियमों के अधीन बीमाकृत प्रत्येक व्यक्ति को उसके आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा बीमा अभिलेख पुस्तक जारी की जायेगी, जिसमें विहित विवरण आहरण और संवितरक अधिकारी और यथास्थिति, बीमा विभाग द्वारा सत्यापित किये जायेंगे।

16 **स्वास्थ्य परीक्षा :–**

घोषणा– पत्र प्रस्तुत करते समय कोई स्वास्थ्य परीक्षा अपेक्षित नही होगी, क्योंकि जिन कर्मचारियों पर ये नियम लागू होते है,वे सम्यक स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् ही सेवा में नियुक्त किये जाते है।

17 **पॉलिसी का जारी किया जानाः–**

(1) प्रथम प्रीमियम की कटौति और पूरे भरे गये प्रारूप 1 प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर–भीतर निदेशक विहित प्रारूप में अपने हस्ताक्षर करके एक पॉलिसी जारी करेगा।

(2) अतिरिक्त बीमा संविदा का जारी किया जानाः– नियम–11 में यथा विहित अतिरिक्त बीमे के लिए अतिरिक्त प्रीमियम की कटौति प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर–भीतर निदेशक द्वारा वृद्धिशील प्रीमियम के लिए अतिरिक्त बीमा संविदा जारी की जायेगी।

18 **प्रीमियम के संदाय की अवधि :–**

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् विभाग द्वारा किये जाने वाले सभी बीमों के अधीन प्रीमियम प्रत्येक मास बीमाकृत व्यक्ति को मृत्यु तक या प्रथम कटौति के समय लागू पॉलिसी परिपक्वता तारीख से ठीक पूर्ववर्ती फरवरी मास तक संदेय होगा।

(2) तथापि, ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के मामले में, जिसने इसके आगे के नियम–39(2) में यथा उपबंधित विकल्प दिया है, प्रीमियम परिपक्वता की वर्धित तारीख से ठीक पूर्व के फरवरी मास तक संदेय होगा। ऐसा प्रीमियम बीमाकृत व्यक्ति को सेवानिवृति तक वेतन से वसूलीय होगा और संचित असंदत्त प्रीमियम बिना ब्याज के दावे के रकम में से वसूलीय होगा।

(3) इन नियमों के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त अतिरिक्त बीमों सहित सभी बीमों के अधीन के प्रीमियम प्रत्येक मास बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु तक या उस मास से जिसमें प्रथम बीमा संविदा पॉलिसी परिपक्व होने वाली है, तीन मास पूर्व तक संदेय होगा। वसूलीय रहा प्रीमियम बिना ब्याज के बीमाकृत राशि में से वसूल किया जायेगा। संदेहों के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि दावेदार को दावे का परिनिर्धारण पूर्व में कर लिए जाने पर भी मृत्यु की तारीख को प्रवृत संविदा के अधीन,

बीमाकृत रकम की दुगुनी रकम का उस में से पूर्व संदत्त रकम घटाकर संदाय किया जाएगा।

(4) जब कभी सरकार सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन करने का विनिश्चिय करे तब या बीमाकृत व्यक्ति की सेवानिवृति की तारीख बढ़ा दिये जाने पर बीमाकृत व्यक्ति के लिए यह समझा जाएगा कि उसने उसको जारी सभी संविदाओं को उसकी सेवानिवृति की नयी तारीख तक परिवर्तित करने का विकल्प दिया है।

19 बीमाकृत राशि कब संदेय है :–

(1) इन नियमों के अधीन की बीमा संविदाओं के अधीन बीमाकृत राशि उस घटना के होने पर संदेय होगी, जिसके बारे में बीमाकृत राशि संदेय है।

(2) प्रत्येक दावे के साथ मूल पॉलिसी और बीमा अभिलेख पुस्तक, यदि उसे जारी की गयी हो, लगायी जायेगी।

20 दावा करने की प्रक्रियाः–

(1) निदेशक, पॉलिसी की परिपक्वता की तारीख से तीन मास पूर्व एक नोटिस बीमाकृत व्यक्ति को, पॉलिसी के साथ दावा पेश करने के लिए जारी करेगा।

(2) बीमाकृत व्यक्ति उस मास में, जिसमें प्रीमियम की वसूली बन्द होनी है, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित दावा प्रारूप अपने आहरण और सवितरण अधिकारी के माध्यम से या सीधे विभाग को पॉलिसी के साथ प्रस्तुत करेगा।

21 दावें का संदायः– विभाग दावे की रकम का संदाय देय होने की तारीख से दो मास के भीतर–भीतर ऐसे संदाय प्राधिकार या चैक (सरकार द्वारा जब कभी भी ऐसा विनिश्चत किया जाये) द्वारा करेगी, जो जारी किये जाने की तारीख से तीन मास के भीतर भीतर संदेय हो।

(22) दावे के विलम्बित निपटारे या प्रीमियम के प्रतिदाय पर ब्याज का संदायः–

(1) (i) प्रीमियम की अधिक वसूली, यदि की गयी हो, कटौती के मास से तीन मास के भीतर–भीतर प्रतिदाय कर देने के मामले के सिवाय 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित संदत्त की जायेगी।

(ii) परिपक्वता, मृत्यु या अध्यर्पण के दावे, जब उनके देय होने के दो मास के पश्चात् संदत्त किये जाये, विभागीय स्तर पर विलम्ब

के लिए दायित्व नियत करने के पश्चात् 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित संदत्त किये जायेंगे।

(2) **ब्याज का संदाय निम्नलिखित द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा :–**

(I) दो वर्ष की सीमावधि तक सहायक निदेशक / उपनिदेशक,राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, और

(II) संदाय प्राधिकार के जारी करने की वास्तविक तारीख तक निदेशक / अपर निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग।

23 **बीमाकृत राशिः–**

बीमाकृत राशि (अर्थात काटे गये प्रीमियम द्वारा प्रत्याभूत) बीमा के प्रारम्भ की तारीख को, बीमाकृत व्यक्ति को अगली जन्मतिथि को होने वाली आयु के सन्दर्भ में से, इन नियमों से संलग्न सारणियों से अवधारित की जायेगी।

24 **बीमा का प्रारम्भः–**

प्रत्येक बीमा या अतिरिक्त बीमा उस मास में जिसमें से मासिक प्रीमियम की कटौती की गयी है, के ठीक बाद वाले मास के प्रथम दिन से प्रारम्भ हुआ समझा जायेगा।

25 **आयु का साक्ष्यः–**

विभाग जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में केवल कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रविष्टि को ही स्वीकार करेगा।

26 **छुट्टी के दौरान् प्रीमियम की वसूलीः–**

जब कोई बीमाकृत व्यक्ति, बिना वेतन के छुट्टी के सिवाय छुट्टी पर रहता है, तो प्रीमियम तब वसूल किया जायेगा जब वेतन का आहरण किया जाये। इस कालावधि के दौरान् पॉलिसी अस्तित्व में रहेगी।

27 **निलम्बन की कालावधि के दौरान् प्रीमियम की वसूलीः–**

जब किसी बीमाकृत व्यक्ति को निलम्बित कर दिया जाये तो प्रीमियम का उसके निर्वाह भत्ते से वसूल किया जाना जारी रखा जावेगा। यदि उसके निलम्बन की कालावधि के दौरान् प्रीमियम की वसूली नहीं की जाती है तो वह उसके प्रीमियम देय होने की तारीख से जमा करने की तारीख तक 12 प्रतिशत् प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज सहित पॉलिसी पर ऋण के रूप में वसूलीय होगी। निलम्बन कालावधि के दौरान् पॉलिसी अस्तित्व में समझी जायेगी।

28 **बिना वेतन के छुट्टी के दौरान प्रीमियम की वसूलीः–**

जब किसी बीमाकृत व्यक्ति को किसी भी कालावधि की बिना वेतन की छुट्टी मंजूर की जाये तो इस अवधि के दौरान ऐसे बीमाकृत व्यक्ति द्वारा संदत्त नहीं किया गया प्रीमियम 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज सहित पॉलिसी पर ऋण होगा और यदि अन्यथा संदत्त नहीं किये जाये तो उसके भावी वेतन में से वसूलीय होगा। इस अवधि के दौरान् पॉलिसी अस्तित्व में रही समझी जायेगी।

29 **युद्ध की जोखिमों का अपवर्जनः–**

ऐसे किसी भी व्यक्ति की, जिसका जीवन बीमा किया जा चुका है, संघ के सशस्त्र बलों में सेवा ग्रहण करने के पश्चात् युद्ध जैसी सक्रियाओं में या किराया संदाय करने वाले यात्री के रूप में के सिवाय, प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षः विमानन में लगने के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाने की दशा में दावा संदत्त प्रीमियमों की रकम तक सीमित रहेगा।

30 **तथ्यों का दुर्व्यपदेशनः–**

यदि किसी भी समय यह प्रतीत हो कि प्रथम घोषणा के प्रारूप सं–1 में कोई असत्य या गलत प्रक्थ्न अंतर्विष्ट है, जिसके कारण पॉलिसी जारी की गयी है और यह कि उसमें (प्रारूप 1में) दी गयी या निर्दिष्ट कोई भी बात सत्यतापूर्वक और उचित रूप से नहीं बतायी गयी है या यह कि कोई भी तत्विक सूचना छिपाई गई है तो बीमा अकृत और शून्य हो जायेगा और उसके अधीन संदत्त समस्त प्रीमियम निधि में समपहृत हो जायेगें।

31 **नाम निर्दिशिती की नियुक्ति :–**

बीमाकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशित करने का हकदार होगा जिनको, उसकी मृत्यु होने की दशा में, उसके जीवन पर की गई सभी बीमा संविदाओं के अधीन बीमाकृत रकम का संदाय किया जाना चाहिए। ऐसा नाम निर्देशन प्रारूप सं. 2 में दिये गये विहित प्रारूप में होगा और उस पर कार्यालय के उससे ठीक वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये जायेगें और उसे निदेशक को भेजा जायेगा, जो पुस्तकों में नामनिर्देशन को रजिस्ट्रीकृत करेगा और बीमाकृत व्यक्ति को नाम निर्देशन की प्राप्ति को लिखित अभिस्वीकृति भेजेगाः

परन्तु यह कि बीमाकृत व्यक्ति के विवाह के पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया और तत्पश्चात् रद्द नहीं किया गया नाम निर्देशन उसके विवाह के पश्चात् उसकी पत्नी/पति के पक्ष में स्वतः रद्द किया हुआ समझा जायेगा।

32 **वे व्यक्ति, जिनको नामनिर्देशिती नियुक्त किया जा सकता है :–**

(1) बीमाकृत व्यक्ति अपने पति/पत्नी,संतान/संतोनों, भ्राता (भ्रताओं), बहिन बहिनों), पिता या माता को नाम निर्देशिती के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा।

(2) बीमाकृत व्यक्ति, यदि नाम निर्देशन करते समय उपर(1) में उल्लेखित कोई भी संबंधी जीवित नहीं है तो, अन्य व्यक्ति को अपने नाम निर्देशिती के रूप में नियुक्ति करने का हकदार होगा।

टिप्पणीः– (i) उपर 32 (1) में सोतेली–माता,पिता,भ्राता, बहिन या संतान सम्मिलित है।

(ii) यदि नियम 32(1) में यथा–उल्लिखित कोई भी संबंधी जीवित हो तो किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम निर्देशन अकृत और शून्य समझा जावेगा। तथापि, यदि पति/पत्नी के सवाय ऐसा कोई भी सबंध नाम निर्देशन फाईल करने के पश्चात् अर्जित किया गया है तो नाम निर्देशन अविधिमान्य नहीं होगा।

33 **नाम निर्देशन का परिवर्तनः–**

एक बार नाम निर्देशन फाईल करने के उपरान्त बीमाकृत व्यक्ति उसे, प्रथम बार फाईल किये गये नाम निर्देशन का प्रतिस्थापन करते हुए दूसरा नाम निर्देशन फाईल करने के सिवाय, रद्द करने का हकदार नहीं होगा। बीमाकृत व्यक्ति को नाम निर्देशनों में परिर्वतान करते समय नियम–32 में अधिकथित शर्त का पालना करना होगा।

34 **नाम निर्देशन की विधि मान्यताः–**

पॉलिसीधारक द्वारा अपने जीवन काल में किये गये किसी भी नये नाम निर्देशन या किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पूर्व के नाम निर्देशन के परिवर्तन को बीमा विभाग द्वारा स्वीकार किया जायेगा, चाहे ऐसा नामनिर्देशन राज्य बीमा द्वारा पॉलिसीधारक की मृत्यु के पश्चात प्राप्त किया जावे। ऐसे मामलों में, उस कार्यालयाध्यक्ष से, जिसके अधीन पॉलिसीधारक उसकी मृत्यु से ठीक पहले सेवा कर रहा था, एक प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त किया जायेगा, जिसमें यह कथन किया गया हो कि विभाग में नामनिर्देशन प्रारूप पॉलिसीधारक की मृत्यु से पूर्व प्राप्त हो गया था और वह असली है।

35 **नामनिर्देशन की किसी भी अन्य दावेदार से प्राथमिकताः–**
यदि बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कोई नाम निर्देशन नियम 32 से 34 तक के उपबंधों के अनुसार किया गया है तो दावे का संदाय, किसी न्यायालय में उठाये गये किसी भी विवाद पर विचार किये बिना, नाम निर्देशिती को किया जायेगा न कि किसी अन्य को।

36 **कतिपय परिस्थितियों में नाम निर्देशन का स्वयमेव ही शून्य होगाः–**

यदि कोई नाम निर्देशिति बीमाकृत से पूर्व मर जाता है तो नाम निर्देशन स्वयमेव ही शून्य हो जाता है और नामनिर्देशितो के वारिसों का कोई दावा नहीं रहेगा।

37 **बीमाकृत राशि का नाम निर्देशिती या नाम निर्देशितों को संदाय :–**

यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के कारण बीमाकृत राशि संदेय हो जाती है तो बीमाकृत राशि नामनिर्देशिती को संदत्त की जायेगी।

यदि एक से अधिक नामनिर्देशिती हो तो बीमाकृत राशि उनकी बीमाकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपात में पृथक पृथक और यदि ऐसा कोई अनुपात विनिर्दिष्ट न हो तो समान अनुपात में सदत्त की जायेगी।

38 **नाम निर्देशन के अभाव में दावे का संदायः–**
नाम निर्देशन के अभाव में, दावे की रकम बीमाकृत व्यक्ति पर लागू उत्तराधिकारी/वैयक्तिक विधि के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति के विधिक वारिसों को संदत्त की जायेगी। तथापि, यदि कोई विवाद हो और विभाग वारिसों के बारे में विनिश्चय करने की स्थिति में नहीं हो तो दावे का संदाय उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को किया जायेगा।

39 **बीमाकृत राशि का परिपक्वता पर संदायः–**

(1) सावधि बीमों के मामलों में बीमाकृत राशि, यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर पहले ही संदत्त नहीं की गयी हो, बीमाकृत व्यक्ति को उस तारीख को, जिसको वह 58 वर्ष की आयु (जहॉ सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है वहॉ 60 वर्ष की आयु) पूरी करता है, ठीक पूर्ववर्ती बीमा वर्ष दिवस को संदेय होगी, बशर्ते कि उसने इसके आगे के नियम 39(2)के अधीन बीमे के विस्तार के लिए विकल्प नहीं दिया हो।

(2)(i) बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक बीमे को जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्त करने का विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में बीमाकृत राशि, विस्तारित अवधि के बोनस सहित, उसकी सेवानिवृति के ठीक पश्चात् आने वाले प्रथम अप्रैल को संदेय होगी।

(ii) उपर नियम 39(2) में यथा–निर्दिष्ट विकल्प बीमाकृत व्यक्ति द्वारा दिया जाना है और उसके आहरण और सवितरण अधिकारी द्वारा परिपक्वता की मूल तारीख के 15 दिन पूर्व भेजा जाना है।

(3) यदि पॉलिसियों/संविदाओं में परिपक्वता की तारीखें भिन्न हो तो सभी बीमों के अधीन बीमाकृत राशि, यदि बीमाकृत व्यक्ति को मृत्यु पर पहले ही संदत्त नहीं की गयी हो, परिपक्वता की पूर्वत्तर तारीख को संदेय होगी और परिपक्वता की पूर्वत्तर तारीख के पश्चात् परिपक्व होने वाले बीमों के सम्बन्ध में देय प्रीमियम दावे की रकम में से काटे जायेंगे। बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु प्रथम या कुछ संविदाओं की परिपक्वता की तारीख के पश्चात् किन्तु कुछ संविदा (संविदाओं) की परिपक्वता तारीख के पूर्व हो जाने की दशा में शेष संविदा (संविदाओं) की मृत्यु होने पर संदेय बीमाकृत राशि उपर उप–नियम (1) के अनुसार ऐसी संविदा पर पहले ही संदत्त रकम का समायोजन करने के पश्चात् संदत्त की जायेगी।

40 **विभाग के देयों की वसूलीः–**

विभाग विभाग द्वारा जारी की गयीकिसी भी पॉलिसी के अधीन ऋण, प्रीमियम, ऋण ब्याज, प्रीमियम ऋण या परिपक्वता को तारीख के पश्चात् के प्रीमियम आदि के मद की संदत्त की जाने वाली किसी भी रकम की कटौती दावे की रकम में से करने का हकदार होगा।

41 पॉलिसियों का समनुदेशनः–

(1) बीमाकृत सरकारी कर्मचारी उसके आवासीय गृह के निर्माण/ क्रय/ जीर्णोद्धार या परिवर्धन के प्रयोजनार्थ वित्तीय संस्था या किसी बैंक को बीमों का समनुदेशन विभाग की पूर्व अनुज्ञा लिये बिना कर सकेगा।

(2) विभाग निम्नलिखित से भिन्न किसी भी व्यक्ति के किसी भी बीमा दावें का किसी भी दशा में नहीं मानेगाः–

(क) यदि उपर्युक्त/उप–नियम (1) में निर्दिष्ट संस्थाओं को पॉलिसी समनुदेशित नहीं की गई है तो बीमाकृत व्यक्ति या उसका निष्पादक, प्रशासक, उसका/उसके नामनिर्देशिति।

(ख) उप–नियम(1) में निर्दिष्ट संस्थाएँ, उस रकम की सीमा तक, जो समनुदेशन की तारीख को विधमान पॉलिसी की बीमाकृत राशि के प्रति बीमाकृत व्यक्ति को संदेय होती है।

42 **सरकारी सेवा में नहीं रह जाने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध विकल्पः–**

(1) जब बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसी के निबंधनों के अधीन परिपक्वता की तारीख के पूर्व सरकार की सेवा में या पंचायत समिति, जिला परिषद् या ऐसे संगठन की सेवा में, जो सरकार के आदेश द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आ गया है, नहीं रह जाता है तो वह 6 मास के भीतर निम्न लिखित में से कोई भी एक मार्ग चुन सकेगाः–

(क) अपने बीमे या बीमों पर देय प्रीमियम तब तक जारी रखना जब तक पॉलिसी में विनिर्दिष्ट अंतिम प्रीमियम के संदाय की तारीख को प्रीमियम बंद न हो जाये।

(ख) इन नियमों में संलग्न सारणी के अनुसार नियमों में यथा विहित पॉलिसी का नकद अध्यर्पण मूल्य लेना।

(ग) कम बीमाकृत राशि के लिये परिदत्त बीमा लेना, जो आगे के प्रीमियमों के संदाय से मुक्त हो। ऐसी कम बीमाकृत राशि का मूल बीमाकृत राशि के साथ वही अनुपात होगा, जो बीमा के अधीन संदत्त कुल प्रीमियमों की रकम का, उन कुल प्रीमियमों की रकम से है, जिनका संदाय उस दशा में किया गया होता, जब मूल बीमे, पॉलिसी में विनिर्दिष्ट अंतिम प्रीमियम के संदाय की तारीख तक प्रवृत बने रहते।

(2) तथापि उपर्युक्त विकल्पों में से तीसरे विकल्प का प्रयोग, इन नियमों के अधीन किये गये प्रथम बीमे के अधीन कम से कम बारह मासों की प्रीमियम संदत्त कर देने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(3) यदि उस तारीख से, जिससे बीमाकृत व्यक्ति सेवा में नहीं रह जाता है या सेवा में नहीं रह जाने के आदेश के जारी होने की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, छः मास के भीतर उपर्युक्त विकल्पों में से किसी एक को चुनने की लिखित सूचना देते हुए कोई सूचना निदेशक के पास नहीं पहुँचती है तो पॉलिसी स्वतः ही उस तारीख से, जिससे बीमाकृत व्यक्ति सेवा में नहीं रह जाता है, अभ्यर्पित पॉलिसी में परिवर्तित हो जायेगी और बीमाकृत व्यक्ति को संदाय का प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित अध्यर्पण मूल्य संदाय किया जायेगा। यदि उपर्युक्त विकल्पों में से किसी एक को चुनने की सूचना पहले ही निदेशक के पास पहंचाये बिना उक्त छः मास की

अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी पूरी बीमाकृत राशि के लिए प्रवृत्त रही हुई समझी जायेगी और दावे का संदाय, उस मास के जिसमें मृत्यु हुई, अंतिम दिन तक असंदत्त प्रीमियम को 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज सहित कटौती करने के पश्चात् पूरी बीमाकृत राशि के लिए प्रवृत्त पॉलिसियों पर लागू नियमों के अनुसार किया जायेगा।

परन्तु उस तारीख से, जिसको बीमाकृत व्यक्ति सेवा में नहीं रह जाता है या सेवा में नहीं रहने के आदेश के जारी होने की तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो, छः माह के भीतर प्रीमियम जारी रखने को पॉलिसी जारी रखने का विकल्प समझा जायेगा।

(4) तथापि, जहॉ कोई बीमाकृत व्यक्ति राजस्थान सरकार द्वारा गठित किसी भी स्वशासी निकाय में, जिस पर सरकार नियंत्रण रखती है, स्थायी रूप से आमेलित हो जाता है तो वह इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अपनी पॉलिसी संविदाओं को जारी रख सकता है और अपने प्रीमियम में वृद्धि कर सकता है।

स्पष्टीकरणः– अखिल भारतीय सेवा के किसी राज्य संवर्ग के पद पर पदोन्नत कोई राज्य सेवा का अधिकारी सरकार की सेवा में ही बना रहेगा और इस नियम के अधीन दिये गये विकल्प उसे उपलब्ध नहीं होंगे।

43 सेवा में न रह जाने के पश्चात् पॉलिसियों का चालू रखा जानाः–

जहॉ कोई ऐसा बीमाकृत व्यक्ति, जो सरकारी सेवा में या पंचायत समितियों, जिला परिषद्ों की या ऐसे संगठनों की, जो सरकार के आदेश द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत लाये गये है, सेवा में नहीं रह जाता है, नियम 42 के अधीन बीमों के परिपक्व होने तक प्रीमियम का संदाय करना जारी रखना चुनता है, वहॉ निम्न लिखित नियम लागू होंगे :–

(क) प्रीमियमों का मासिक संदाय किया जाना बीमा प्रारम्भ होने के आगामी अधिवार्षिकी वर्ष दिवस तक जारी रहेगा।

(ख) आगामी बीमा वर्ष दिवस के ठीक पूर्ववर्ती मास के दौरान बीमाकृत व्यक्ति विभाग को लिखित सूचना देकर अपने बीमे के प्रीमियम का संदाय बीमों से संबंधित वर्ष दिवस पर वार्षिक किस्तों में या अर्द्ध वार्षिक या त्रैमासिक किस्तों में कर सकेगा। ऐसी सूचना प्राप्त नही

होने पर यह समझा जायेगा कि प्रीमियमों का मासिक किस्तों में संदाय जारी रहेगा।

(ग) मासिक प्रीमियम की दशा में 15 दिन की और किसी अन्य दशा में एक कलेण्डर मास की अनुगृहात्मक अवधि अनुज्ञात की जायेगी।

(घ) यदि प्रथम असदत्त प्रीमियम की नियत तारीख से छः मास के भीतर भीतर प्रीमियम और उस पर ब्याज का संदाय नहीं किया जाता है तो पॉलिसी, प्रीमियमों के बंद होने की ऐसी छः मास की तारीख से नियम 42(3) के उपबंध के अनुसार अभ्यर्पित की हुई समझी जायेगी और नियम 42(3) के उपबंध के अनुसार उस पर कार्यवाही की जाये।

44 **ऋण मंजूर करनाः–**

(1) बीमाकृत व्यक्ति, प्रारूप जी.ए. 203 में आवेदन प्रस्तुत करने पर, उसके द्वारा कराये गये बीमों की प्रत्याभूति पर, ऐसे बीमों के कुल अध्यर्पण मूल्य के 90 प्रतिशत की सीमा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) ऋण, छत्तीस समान मासिक किस्तों में या ऐसी कम अवधि में, जिसका बीमाकृत व्यक्ति द्वारा अनुरोध किया जाये, प्रतिसंदत्त किया जायेगा, ये किस्तें ऋण मंजूर किये जाने के पश्चात् प्रथम वेतन के आहरण से प्रारम्भ होगी।

(3) 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज प्रभावित किया जावेगा जो ऋण की मूल रकम के पूर्ण प्रतिसंदाय के पश्चात् सवितरक अधिकारी द्वारा दस समान किस्तों में वूसल किया जायेगा। यदि ब्याज पूर्णतः या अंशतः इस प्रकार वसूल नहीं किया जाता है तो वसूल नहीं किया गया ब्याज, उसके बकाया रहने की अवधि के लिए 12 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित दावे की रकम से या अगले ऋण की रकम से वसूल किया जायेगा।

(4) ऋण, ऐसी पॉलिसियों के सम्बन्ध में, जो नियम 41 के उप–नियम (1) के अधीन बीमाकृत व्यक्ति द्वारा पहले ही समनुदेशित की जा चुकी है, ऐसे समनुदेशन के चालू रहने के दौरान, अनुज्ञेय नहीं होगा।

(5) पॉलिसी पर अगला ऋण तब तक मंजूर नहीं किया जावेगा, जब तक कि पिछले ऋण की मंजूरी और आवेदित ऋण के बीच दो वर्ष की

अवधि व्यतीत न हो गयी हो और ब्याज सहित ऋण पूर्णतः संदत्त न कर दिया गया हो।

(6) कोई बीमाकृत व्यक्ति, जिसने नियम 39 (2) में यथा उपबंधित विकल्प दिया है, विस्तारित अवधि के दौरान् ऋण प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

45. **सेवानिवृति के पश्चात् किन्तु परिपक्वता की तारीख से पूर्व प्रीमियमों का संदायः–**

(1) जहॉ बीमाकृत व्यक्ति उस तारीख से पूर्व, जिसको उसके बीमे संदाय के लिए परिपक्व होते में सेवानिवृत हो जाता है और पॉलिसी को चालू रखना चुनता है तो वह यदि वह, ऐसा करना चाहता है, उसको संदेय पेंशन से प्रीमियम की कटौती की व्यवस्था कर सकेगा।

(2) यदि ऐसा बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसी को चालू रखना नहीं चुनता है तो वह परिदत्त बीमा या नकद अध्यर्पण मूल्य लेना चुन सकता है। तथापि जहॉ भावी संदेय प्रीमियम तीन वर्ष या उससे कम अवधि के हो वहॉ पॉलिसी पर देय प्रीमियमों को विभाग को देय ऋण के रूप में समझा जावेगा, जो 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज के साथ, पॉलिसी के निबंधनों के अधीन संदेय दावे की रकम से वसूलनीय होगा।

46 **उधार–सेवा पर के कर्मचारीः–**

जब कभी भी किसी बीमाकृत व्यक्ति की सेवाऍ अन्य सरकार या किसी संस्था को उधार दी जाये तो सम्बन्धित विभाग प्रीमियमों के संदय के लिए किये गये प्रबंध का उल्लेख करते हुए उसके बारे में अविलम्ब सूचना भेजेगा। प्रीमियम जहॉ कहीं सम्भव हो, छुट्टी और पेंशन अभिदान के साथ वसूल किया जा सकेगा। ऐसा न हो सकने की स्थिति में प्रीमियम बीमाकृत व्यक्ति द्वारा सीधे जमा कराया जा सकेगा।

47 **दूसरी (डूप्लीकेट) पॉलिसी का जारी किया जानाः–**

निदेशक, यदि इस बात का समाधान हो जाये कि पॉलिसी धारक व्यक्ति ने पॉलिसी खो दी है और उसने उसे खोजने के हर सम्भव प्रयत्न कर लिये हैं या वह नष्ट या विकृत हो गयी है या, यथास्थिति कट–फट गयी है तो उसके बदले में दूसरी पॉलिसी जारी करेगा, बशर्ते कि पॉलिसीधारकः–

(क) क्षतिपूर्ति पत्र के साथ एक आवेदन निदेशक को प्रस्तुत करें, जिसमें यह लिखें कि उनको जारी की गयी पॉलिसी खो गयी है या नष्ट हो गयी है।

(ख) उसको जारी विकृत या कटी–फटी पॉलिसी को निदेशक को लौटा दें।

(ग) (क) की दशा में 100/– और (ख) कि दशा में 50/– की राशि बीमा विभाग को भेजे। यदि दूसरी पॉलिसी जारी किये जाने के पश्चात् धारक व्यक्ति की मूल पॉलिसी मिल जाये तो उसे विभाग को भिजवाया जायेगा।

48 **दूसरी बीमा अभिलेख पुस्तक का जारी किया जानाः–**

दूसरी बीमा अभिलेख पुस्तक जारी करने के लिए नियम 47 यथावश्यक परिवर्ततनों सहित लागू होगा।

49 **ऋण के लिए आवेदन करते समय या दावे के निपटारे के लिए पॉलिसी के प्रस्तुतिकरण का आवश्यक होनाः–**

(1) बीमाकृत व्यक्ति के लिये यह आवश्यक होगा कि वह जब कभी भी ऋण के लिए आवेदन करे तो आवेदन के साथ और दावे के निपटारे के समय पॉलिसी प्रस्तुत करे।

(2) जब कभी भी ऋण के मामलों में निदेशक का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाये, बीमाकृत व्यक्ति के लिए पॉलिसी प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है तो वह ऐसे प्रस्तुतिकरण में छूट दे सकता है।

50 **कुर्की से छूटः–**

इन नियमों के अनुसरण में जारी की गयी बीमा संविदाओं के अधीन संदेय धन, डिक्री के निष्पादन में कुर्की और/या बिक्री किये जाने से मुक्त है और इस तथ्य के होने पर भी कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के कारण यह धन किसी अन्य व्यक्ति को देय है, ऐसा सारा धन कुर्की से मुक्त रहेगा।

51 **बीमाकृत राशि की दुगुनी राशि का संदायः–**

किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को, जो सरकार, जिला परिषद्/पंचायत समिति की या ऐसे संगठन की, जो सरकार के आदेश द्वारा इन नियमों के अन्र्गत ले लिया गया है, सेवा में बना रहता है, की सावधि बीमे के मामले में परिपक्वता की तारीख से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उसके जीवन पर जारी किये गये बीमे की बीमाकृत राशि की दुगुनी राशि संदत्त की जायेगी।

परन्तु उन बीमाकृत व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में, जो सेवा में नही रह गये थे, किन्तु नियम 39(2) में अनुसार विस्तारित बीमे के लिए विकल्प दे चुके थे, उनके जीवन पर जारी किये गये बीमे की बीमाकृत राशि की दुगुनी राशि संदत्त की जायेगी।

52 **लुप्त जमाओं का समायोजनः–**

प्रीमियम की लुप्त जमाओं का समायोजना बीमा अभिलेख पुस्तक, जी.ए. 55 ए या सरकार द्वारा समय समय पर विहित किसी भी अन्य प्रोफार्मा में सत्यापित प्रविष्टि के आधार पर किया जायेगा।

53 **निरसन और व्यावृत्ति खण्डः–**

समय समय पर यथा–संशोधित राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1953 उस तारीख को निरसित हो जायेंगे, जिसको वे नियम उक्त नियमों द्वारा घोषित सरकारी कर्मचारियों पर लागू किये जाये।

परन्तु इसके द्वारा निरसित नियमों के अधीन की गयी कोई भी बात या उनके अधीन किया गया कोई भी बीमा या अतिरिक्त बीमा, ऐसे निरस्त के होते हुए भी, इस प्रकार प्रवृत्त बना रहेगा मानो वह इन नियमों के अधीन किया गया था।

सारणी– क

58 वर्ष की आयु पर परिपक्व होने वाली पॉलिसियों के मामलों में संदेय बीमा राशि की दरों की सारणी

01	02
अगली जन्म तिथि पर आयु	सावधि बीमा(1/– रू. के मासिक प्रीमियम के लिए, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने या पूर्वत्तर मृत्यु होने पर संदेय बीमा राशि)
18	590
19	569
20	550
21	531
22	512
23	493
24	474
25	455
26	436
27	417
28	400
29	383
30	366
31	349
32	332
33	315
34	299
35	288
36	266
37	252
38	238
39	225
40	211
41	197
42	183
43	170
44	156
45	144
46	132
47	121
48	109
49	97
50	85

सारणी– ख

60 वर्ष की आयु पर परिपक्व होने वाली पॉलिसियों के मामले में संदेय बीमा राशि की दरों की सारणी

01	02
अगली जन्म तिथि पर आयु	सावधि बीमा(1/– रू. के मासिक प्रीमियम के लिए, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने या पूर्वत्तर मृत्यु होने पर संदेय बीमा राशि)
18	622
19	602
20	582
21	562
22	544
23	525
24	507
25	488
26	470
27	451
28	433
29	415
30	398
31	381
32	364
33	348
34	331
35	314
36	298
37	282
38	265
39	251
40	237
41	224
42	210
43	196
44	182
45	169
46	155
47	144
48	132
49	121
50	109

सारणी–ग

अध्यर्पण मूल्य घटक
58 वर्ष की आयु पर परिपक्व सावधि बीमा

आयु वर्ष	अध्यर्पण मूल्य घटक	आयु वर्ष	अध्यर्पण मूल्य घटक
18	0.25455	38	0.46608
19	0.26128	39	0.48231
20	0.26832	40	0.49930
21	0.27568	41	0.51703
22	0.28335	42	0.53557
23	0.29140	43	0.55580
24	0.29978	44	0.57531
25	0.30857	45	0.59656
26	0.31776	46	0.61881
27	0.32737	47	0.64220
28	0.33738	48	0.66669
29	0.34789	49	0.69241
30	0.35883	50	0.71947
31	0.37028	51	0.74796
32	0.38226	52	0.77812
33	0.39437	53	0.80971
34	0.40779	54	0.84325
35	0.42140	55	0.87883
36	0.43566	56	0.91683
37	0.45056	57	0.95653

सारणी–घ
अध्यर्पण मूल्य घटक
60 वर्ष की आयु पर परिपक्व सावधि बीमा

आयु वर्ष	अध्यर्पण मूल्य घटक	आयु वर्ष	अध्यर्पण मूल्य घटक
18	0.23758	39	0.44726
19	0.24376	40	0.46288
20	0.25024	41	0.47917
21	0.25700	42	0.49619
22	0.26404	43	0.51475
23	0.27145	44	0.53262
24	0.27916	45	0.55207
25	0.28726	46	0.57241
26	0.29572	47	0.59376
27	0.30457	48	0.61607
28	0.31379	49	0.63947
29	0.32347	50	0.66405
30	0.33355	51	0.68987
31	0.34409	52	0.71717
32	0.35513	53	0.74569
33	0.36628	54	0.77591
34	0.37865	55	0.80192
35	0.39119	56	0.84199
36	0.40432	57	0.87786
37	0.41804	58	0.91631
38	0.43232	59	0.95093

राजस्थान– सरकार

डिट्रीक्ट नं. माह–––––– फार्म–1 जी0ए0–165
संख्या–––––––– **घोषणा–पत्र**

(राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवम् जिला परिषद् कर्मचारियों, वर्कचार्ज कर्मचारियों जिन पर राजस्थान सेवा–नियम लागू किये गये हैं तथा स्वशासी संस्थाऍ, जिन्होंने बीमा योजना लागू करने की अनुमति प्राप्त कर ली है, के कर्मचारियों द्वारा पूर्ति किया जावे।)

1 पूरा नाम –––––––––––––– पूरा नाम जैसा कि पॉलिसी में अंकित किया जाना
पिता का नाम ––––––––––– चाहिए, साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखें।
नियुक्ति का दिनांक व पद ––––––
कार्यालय का पूरा पता
पूरा स्थायी पता –––––––––––––––

02 क आप विवाहित है या अविवाहित विवाहित/अविवाहित

ख यदि विवाहित हैं तो जीवित संतानों की संख्या व उनकी आयु–––––––

03 आपका जन्म स्थान। जन्म स्थान। जन्म की तारीख। आगामी वर्षगांठ पर
व जन्म की तारीख। गॉव व कस्बा। तारीख महीना वर्ष। आयु

–––

04 क्या आपके पास इस विभाग द्वारा आपके जीवन पर पूर्व में जारी की गई बीमा की पॉलिसी है तो उसकी संख्या लिखें। ....

05 क्या प्रथम बार बीमा किया जा रहा है,, यदि हॉ तो–

क आपका माहवारी वेतन क––––––
ख महीने का नाम जिस वेतन से प्रथम बार प्रीमियम काटा गया। ख––––––
ग मासिक प्रीमियम की काटी गयी राशि। ग––––––

नोटः– बीमा असली वेतन पर संदेय होगा जिसमें किसी भी प्रकार का भत्ता सिवाय ऐसे भत्ते के जो वेतन के ऐवज में मिलता हो सम्मिलित न किया जाये।

6 क्या वेतन वृद्धि के कारण निर्धारित दर से अगली प्रथम/द्वितीय खण्ड पर स्वैच्छा से प्रीमियम में वृद्धि की जा रही है यदि हॉ तो–
(क) वेतन वृद्धि का दिनांक ––––– (ख) आपका माहवारी वेतन ––––––––
(ग) प्रीमियम में वृद्धि का माह–––– (घ) अधिक कटौति का विवरण––––––

नोटः– प्रश्न संख्या 5 एवम् 6 में। पूर्व में काटी जा रही प्रीमियम राशि––––––––

जो लागू न हो उसे काट दे। अब बढ़ायी गयी प्रीमियम राशि ––––––––

योगः–

7. क क्या आप विकलांग या नेत्र हीन है। (क)––––––––––
ख क्या आपको दमा, टी.बी.,मधुमेह,कैंसर, एड्स हुआा है यदि (ख)–––––––
हॉ तो पूर्ण विवरण लिखें।
8. क क्या आप वर्कचार्ज कर्मचारी है यदि हॉ तो रेगुलर (क) ––––––––
केडर में लिये जाने का दिनांक लिखें।
ख यदि किसी स्वशाषी संस्था में कर्मचारी है तो (ख)–––––––––
संस्था का पूरा नाम लिखें। क्रमशः–2

–––

9. परिवार का पूरा विवरण जीवित। मृत
लिखिये–––––––––––––––––

वर्तमान उम्र	स्वास्थ्य की हालत	मृत्यु के समय की आयु	मृत्यु का कारण	बीमारी की अवधि तथा मृत्यु
पिता				
माता				
पति/पत्नी				
भ्राता				
बहिनें				
पुत्र/पुत्रियॉ				

10. अवकाश का पूरा विवरण(आकस्मिक अवकाश के अलावा) निम्नांकित कोष्ठकों में भरा जाये–––

अवकाश की किस्म। स्वास्थ्य खराब होनेकी हालत में। अन्य कारणों से
_____। वर्ष व अवकाश। अवकाश का ।अवकाश की । अवकाश का
की अवधि । कारण । अवधि व वर्ष । कारण
_____
_____
उपार्जित अवकाश ।
अस्वस्थ होने के ।
कारण अवकाश ।
अवैतनिक अवकाश।
_____
नोटः– डाक्टरी सर्टिफिकेट यदि कोई हो तो उसकी प्रति इसके साथ लगायें।

11. क्या आपके किसी जीवित या मरे हुये सम्बन्धी के दमा,टी.बी.,मधुमेह,केंसर या एड्स या किसी पुस्तैनी बिमारी का प्रकोप हुआ है यदि ऐसा है तो इसका पूर्ण विवरण लिखें।

12. उस मनोनीत व्यक्ति(नॉमिनी) का पूरा विवरण दीजिये जिसको आप अपने बीमें की रकम पाने का अधिकारी नियुक्त करना चाहते/चाहती है। मनोनयन पूर्व में नियुक्त किया है और अब उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस कॉलम की पूर्ति नहीं की जावे तथा फार्म–2 की पूर्ति कर प्रस्तुत किया जावे।

मनोनीत व्यक्ति का नाम	आपके साथ उसका सम्बन्ध	आयु	संरक्षक का नाम यदि मनोनीत वयक्ति नाबालिग हो	संरक्षक का मनोनीत व्यक्ति से सम्बन्ध	संरक्षक की आयु

मैं यह घोषणा करता/करती हूॅकि उपर दिये गये उत्तर व विवरण सही और सच्चे हैं और मैंने ऐसी कोई बात नहीं छिपाई है जिससे मेरे जीवन के बीमे पर असर पड़े। मैं स्वीकार करता/करती हूॅ कि यह घोषणा पत्र राजस्थान बीमा विभाग और मेरे बीच नियम–पत्र का आधार होगा। मैं इससे बीमे के सम्बन्ध में राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के जीवन बीमा नियम, 1998 से बाध्य होना स्वीकृत करता/करती हूॅ।
स्थान तारीख महीना

घोषणा करने वाले के बायं हाथ के अंगूठे––––––––घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर घोषणा करने वाले का निशान, यदि वह अनपढ़ है। । । । के हस्ताक्षर
उपर्युक्त विवरण मेरे द्वारा सर्विस रिकार्ड से जॉचा गया व सही पाया गया है।

फार्म नम्बर 2

(देखिये नियम–31 तथा 34)

नामनिर्देशन का प्रारूप

मै।––––––––––––––––पुत्र/पुत्री/श्री––––––––––––––––––––

जो राज्यबीमा, विभाग, राजस्थान पॉलिसी संख्या––––––––––––––––––––

के अधीन बीमाकृत व्यक्ति हूँ, इसके द्वाराः–

(1) पूर्व में मैरे द्वारा मेरे/मेरी––––––––––––––––––––––––––––––––

नाम निर्देशिती से आपके संबंध का उल्लेख कीजिये

श्री/श्रीमती––––––––––––––––आयु वर्ष के पक्ष में किया गया

नाम निर्देशन रद्द करता/करती हूँ।

(02) मेरे/मेरी––––––––––––श्री/श्रीमती/कुमारी––––––––––––––––––

(नाम निर्देशिती से आपके संबंध का उल्लेख कीजिये)

आयु..... वर्ष को अपना नाम निर्देशिती करता/करती हूँ।

(03) श्री/श्रीमती .....जो.....

नाम निर्देशिती से उसके संबंध का उल्लेख कीजिये)

का नाम निर्देशिती के व्यस्क होने तक उसकाा अभिभावक नियुक्त करता/करती हूँ।

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

बीमाकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थानः–.....

उच्चाधिकारी के हस्ताक्षर तथा

उसके पदनाम की मुहर

(राजपत्रित अधिकाकरी होने की दशा में उसके हस्ताक्षर किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने चाहिये)

टिप्पणीः– जो लागू न हो उसे काट दें।

बीमाकृत व्यक्ति के पति/पत्नी/बच्चे/भ्राता/बहिन,पिता या माता के जीवित होते हुए अन्य व्यक्ति को नामनिर्देशिती नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

कार्यालय निदेशक, राज्यबीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ–5/बीमा/व्य.एवं प./94–95/ दिनांक 16.04.1999

कार्यालय निर्देश संख्या–1/99–2000

राजस्थान सरकार कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 52 में प्रावधान है कि प्रीमियम की लापता जमाओं का समायोजन बीमा अभिलेख पुस्तक जी.ए. 55(ए) या सरकार द्वारा समय समय पर विहित किसी भी अन्य प्रोफार्मा में सत्यापित प्रविष्टि के आधार पर किया जायेगा। इस प्रावधान के अनुसार वित्त विभाग के पत्र संख्या–प–4(64)वित्त/राजस्व/92/दि. 06.03.1999 द्वारा बीमा की लुप्त राशि के समायोजन हेतु निम्नलिखि प्रमाण–पत्रों का अनुमोदन किया गया है।

1–प्रमाण–पत्र "क " :–

जिन कर्मचारियों का वेतन, वेतन बिलों को कोष कार्यालय से पारित करवा कर भुगतान किया जाता है के मामलों में लुप्त कटौती की राशि का समायोजन इस प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जा सकेगा। इस प्रमाण–पत्र के प्रथम भाग की पूर्ति सम्बन्धित बीमेदार द्वारा तथा द्वितीय भाग की पूर्ति उसके वर्तमान आहरण एवम् वितरण अधिकारी द्वारा की जायेगी।

प्रमाण–पत्र " क "

(प्रथम भाग)

(वे कर्मचारी जिनके वेतन बिल कोष कार्यालय से पारित किये जाते हैं, के द्वारा पूर्ति किया जाये।)

मैं.....पुत्र श्री .....जो कि कार्यालय .....में .....के पद पर कार्यरत हूँ, प्रमाणित करता हूँ कि निम्न माह/माहों में उनके सन्मुख अंकित अनुसार मेरे वेतन से बीमा प्रीमियम की कटौती की गयी है।

पॉलिसी संख्या——————————————

क्र.सं.	माह/महिने	प्रीमियम दर

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि:–

(01) उपर्युक्तानुसार दर्शायी गयी प्रीमियम की दर मेरी जानकारी में सही है।

(02) मेरे द्वारा प्रीमियम की दर अंकित नहीं किये जाने की दशा में लुप्त कटौती के माह से तुरन्त पहिले प्राप्त प्रीमियम की दर से बीमा विभाग द्वारा समायोजित प्रीमियम मुझे स्वीकार होगा।

(03) उपर्युक्तानुसार समायोजन के फलस्वरूप अधिक भुगतान होने की दशा में ऐसी अधिक भुगतान हुयी राशि राज्यबीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग को लौटाने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर सरकारी कर्मचारी

भाग द्वितीय

(वर्तमान आहरण एवम् वितरण अधिकाकरी द्वारा पूर्ति किया जावे)
उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका/अवकाश पंजिका/व्यक्तिगत पंजिका से किये सत्यापन अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी उपर्युक्त वर्णित अवधि में निलम्बन/अवैतनिक/अवकाश/परिवर्तित अवकाश पर नहीं था या किसी अन्य राज्य/निगम/मण्डल आदि स्वशाषी संस्था एवम् स्थानीय निकाय में प्रतिनियुक्ति पर नहीं था।

आहरण एवम् वितरण अधिकारी
मय पद मोहर

2–प्रमाण–पत्र "(ख)"

पंचायत समिति, जिला परिषद्, निगमों, मण्डलों, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की बीमा कटौती की लुप्त राशि इस प्रमाण–पत्र के आधार पर समायोजित की जा सकेगी। वर्कचार्ज कर्मचारियों की 01.04.1994 से पूर्व की लुप्त राशि भी इसी प्रमाण–पत्र के आधार पर समायोजित की जा सकेगी। इस प्रमाण–पत्र के प्रथम भाग की पूर्ति स्वयम् कर्मचारी द्वारा एवम् द्वितीय भाग की पूर्ति उसके तत्कालीन आहरण एवम् वितरण अधिकारी द्वारा की जायेगी।

प्रमाण–पत्र "(ख)"
(भाग प्रथम)
(पंचायत समिति, जिला परिषद्, निगमों, मण्डलों, स्थानीय निकाय के कर्मचारी
एवम् वर्कचार्ज कर्मचारी द्वारा पूर्ति किया जाये)

मैं .....पुत्र श्री .....जो कार्यालय में पद .....

पर नियुक्त हूँ, प्रमाणित करता हूँ कि निम्न माह/माहों में उनके सन्मुख अंकित अनुसार मेरे वेतन से बीमा की और कटौती की गयी है।

पॉलिसी संख्या.....

———————————————————————————————————

क्र.सं.	माह/माहों का नाम	बीमा की ओर की गयी कटौती की दर	
		प्रीमियम	दर
01	02	03	04

कर्मचारी के हस्ताक्षर

(द्वितीय भाग)

(सम्बन्धित आहरण एवम् अवितरण अधिकाकरी द्वारा पूर्ति किया जाये)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी उपर्युक्त वसूलियॉ नीचे दिये गये विवरण अनुसार बीमा निधि में जमा करायी गयी है।

क्र.सं.	माह/माहों का नाम	बीमा वसूली की दर		चालान/चैक/कैश वाउचर जिसके द्वारा राशि जमा करायी गयी का विवरण		जमा करायी गयी कुल राशि जिसमें बीमेदार की उक्त राशि सम्मिलित है।
		प्रीमियम	ऋण	क्रमांक	दिनांक	
01	02	03	04	05	06	07

सम्बन्धित संस्था के आहरण एवम् वितरण अधिकारी
के हस्ताक्षर मय पद मोहर

(03) जिन मामलों में कर्मचारी सेवा से अलग होने के बाद अपनी पॉलिसी का संधारण कर रहे हैं और प्रीमियम की राशि चालान/चैक द्वारा बीमा निधि में जमा करायी गयी है के मामलों में चालान/चैक जिसके द्वारा राशि जमा करायी गयी है, की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर इसके आधार पर लुप्त राशि का समायोजन किया जा सकेगा।

इस प्रमाण–पत्रों के आधार पर उसी राशि का समायोजन किया जाये जो विभागीय रेकार्ड से सत्यापित नहीं हो रही है। अतः इसके आधार पर समायोजन से पूर्व विभागीय रेकार्ड से राशि का सत्यापन किया जाये तथा सत्यापन कर्ता कर्मचारी की टिप्पणी पत्रावली पर अंकित की जाये।

निदेशक
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान– जयपुर।